


आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
11.09.2018	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया</b></p> <p style="text-align: center;"><b>सेवा अपील वाद संख्या-21/2018</b></p> <p>1. अनोखा कुमारी, पति-संतोष कुमार, सा०-गोरियर मिलिक टोला, धाना-टीकापट्टी, जिला-पूर्णिया।</p> <p style="text-align: right;">..... अपीलार्थी</p> <p style="text-align: center;"><b>बनाम</b></p> <p>1. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया। 2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली। 3. महिला पर्यवेक्षिका, श्रीमती बीना झा। 4. उप सरपंच श्री रामप्रवेश महतो, ग्राम कचहरी गोरियर पश्चिम, 5. महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती सुषमा कुमारी। 6. श्रीमती ललिता देवी, वार्ड सदस्य वार्ड सं०-06। 7. श्रीमती रजनी कुमारी, पति नंदलाल महतो, सा०-गोरियर मिलिक टोला, धाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया।</p> <p style="text-align: right;">..... विपक्षीगण</p> <p style="text-align: center;"><b>आ दे श</b></p> <p>प्रस्तुत अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के किसी आदेश के विरुद्ध दायर नहीं किया गया है। यह मामला आंगनबाड़ी केन्द्र सं०-233, वार्ड नं०-06, पंचायत-गोरियर मिलिक, परियोजना-रूपौली के सेविका पद से संबंधित है।</p> <p>दिनांक 08.03.18 को इस वाद में आदेश पारित कर अपीलार्थी को निदेशित किया गया कि यह वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के किस आदेश के विरुद्ध लाया गया है, स्थिति स्पष्ट करें। परन्तु अपीलार्थी द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं करायी जा सकी। तत्पश्चात् इस आशय का प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से मांगा गया। उनके द्वारा पत्रांक 999/जि०प्र० दिनांक 24.07.18 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपीलार्थी अनोखा कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के न्यायालय में</p>	

अपील दायर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

अतः अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में वाद दायर करें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
जिला पदाधिकारी,  
पूर्णिया।

  
जिला पदाधिकारी,  
पूर्णिया।